अनुबंध I

एमडी/डब्ल्यूटीडी के साथ प्रसंविदाओं के विलेख का प्रपत्र

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र सं डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

प्रसंविदाओं का यह विलेख ____________ दो हजार ______ के ______ दिन को पहले भाग के रूप में ____________ जिसका पंजीकृत कार्यालय ______ में है (जिसे बाद में 'बैंक' कहा गया है) और दूसरे भाग के रूप में__________ श्री / सुश्री _________ (जिसे इसके बाद 'एमडी/डब्लयूटीडी' कहा गया है) के बीच बनाया गया है।

जिसमें,

क. बैंक के एमडी / डब्ल्यूटीडी के रूप में उनकी नियुक्ति की शर्त के रूप में, श्री / सुश्री ---------- को बैंक के साथ एक प्रसंविदा विलेख करना आवश्यक है।

ख. श्री/ सुश्री --------------------- इस प्रसंविदा विलेख में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसे बोर्ड द्वारा उसकी उक्त नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

अब इस पर सहमति हुई है और प्रसंविदाओं का यह विलेख इस प्रकार साक्षी है:

1. श्री/सुश्री ------------- स्वीकार करते हैं कि एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में उनकी नियुक्ति बैंक के निम्नलिखित उपनियम और इस प्रसंविदा विलेख के प्रावधान सहित लागू कानूनों और विनियमों के अधीन है।

2. श्री/सुश्री ------------------------ बैंक के साथ प्रसंविदा करते हैं कि:

(i) वह बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हित की प्रकृति की जानकारी प्रदान करेगा/करेगी, बशर्ते उसका कोई हित है या किसी अनुबंध या व्यवस्था या किसी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश किया है या किया जाना है जोकि बैंक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच है, इसके बारे में पता चलने पर या बोर्ड की बैठक में, जिसमें इस तरह के अनुबंध या

व्यवस्था में प्रवेश करने के प्रश्न पर विचार किया जाता है या यदि वह उस तिथि पर नहीं था इस तरह के प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में संबंधित या हित रखते हैं, तो बोर्ड की पहली बैठक में उसके संबन्धित या इच्छुक होने के बाद और किसी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में वह जुड़ जाता/ जाती है या अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखता है तो वह बोर्ड की पहली बैठक में ही आवश्यक प्रकटीकरण करेगा।

(ii) वह बोर्ड को सामान्य नोटिस द्वारा कॉर्पोरेट निकायों की अपनी सदस्यता, अन्य संस्थाओं में अपनी हित और फर्मों के भागीदार या स्वामी के रूप में अपने हित की जानकारी प्रदान करेगा और तदनुरूप बोर्ड को सभी परिवर्तनों से अवगत कराएगा ।

(iii) वह बैंक को आरबीआई दिशानिर्देशों में परिभाषित उसकी/उसके रिश्तेदारों की सूची और जिस हद तक वह ऐसे रिश्तेदारों के अन्य निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों और अन्य संस्थाओं में निदेशक पदों और हितों से अवगत है की जानकारी, बैंक को प्रदान करेगा ।

(iv) वह बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाएगा:

(क) कौशल की ऐसी योग्यता का उपयोग करेगा जो किसी व्यक्ति से उसके ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा करने के अनुरूप होगा;

(ख) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में इस तरह की देखभाल करेगा कि उससे अपनी ओर से उचित रूप से करने हेतु उससे आशा की जा सकती है और बैंक के हित में और अच्छे विश्वास में उसमें निहित किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) बैंक के व्यवसाय, गतिविधियों और वित्तीय स्थिति के बारे में उस सीमा तक खुद को सूचित रखेगा, जिस हद तक उसे बताया गया है;

(घ) अच्छी नियमितता के साथ बोर्ड और समितियों (जिसका वह हिस्सा है) की बैठकों में भाग लेगा (सामूहिक रूप से संक्षिप्तता के लिए इसे 'बोर्ड' कहा गया है) और ईमानदारी से बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करेगा;

(ड.) बैंक के हितों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;

(च) बोर्ड के सामने लाए गए बैंक को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लाएगा, जो सांविधिक अनुपालन, निष्पादन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानकों को शामिल करते हुए किन्तु यहीं तक सीमित नहीं होगा;

(छ) बोर्ड के समक्ष लाए गए या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अपने निर्णय के प्रयोग में किसी भी व्यवसाय या अन्य संबंध से मुक्त होगा जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग में भौतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है; तथा

(ज) बोर्ड की बैठकों में बिना किसी भय या पक्षपात के और अपने स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग पर बिना किसी प्रभाव के अपने विचार और राय व्यक्त करेगा;

(v) उसके पास होगा:

(क) सद्भावना और बैंक के हित में कार्य करने के लिए प्रत्ययी कर्तव्य होगा और किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए नहीं;

(ख) केवल बैंक के उपनियमों और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर कार्य करने का कर्तव्य; तथा

(सी) बैंक के कारोबार की उचित समझ हासिल करने का कर्तव्य।

(vi) वह सुनिश्चित करेगा/करेगी:

(क) बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से अपवंचन नहीं करेगा;

(ख) बैंक के अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जहां भी एमडी/डब्ल्यूटीडी के पास अन्यथा विश्वास करने का कारण होगा, वह तुरंत बोर्ड को अपनी चिंताओं से अवगत कराएगा; तथा

(ग) अपने या किसी और के लाभ या हित के लिए बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में उन्हें दी गई जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करेंगे और बैंक द्वारा उन्हें दी गई जानकारी का उपयोग बैंक के एमडी/ डब्ल्यूटीडी केवल एमडी/ डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए अपनी क्षमता में करेंगे न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

3. बैंक सुश्री/ श्री ------------------------ के साथ अनुबंध करता है कि:

(i) बैंक श्री/सुश्री -------------------- को निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगा:

क. एमडी डब्ल्यूटीडी के कानूनी और अन्य कर्तव्यों की पहचान और वैधानिक दायित्वों के साथ / आवश्यक अनुपालन सहित बोर्ड प्रक्रियाएं;
ख. नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं;
ग. ऐसे मामले जिनमें एमडीडब्ल्यूटीडी को उनकी रुचि के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग / नहीं लेना चाहिए;
घ. योग्यता आवश्यकताएं और उपनियमों की प्रतियां प्रदान करना;
ङ. बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के लिए प्राधिकरण का गठन, अधिकारों का प्रत्यायोजन और संदर्भ की शर्तें;
च. वरिष्ठ कार्यपालकों की नियुक्ति और उनका अधिकार;
छ. बोर्ड की समितियों के विचारविमर्श-, और
ज. नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, बैंक के उपनियमों सहित लागू विनियमों, प्राधिकरणों के प्रत्यायोजन, वरिष्ठ कार्यपालकों आदि में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना।

ii) बैंक श्री/सुश्री--- को बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनके लिए उचित रूप से आवश्यक सभी जानकारी और बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा बोर्ड के विचारार्थ या एमडी/डब्ल्यूटीडी को सौंपे गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने संबंधी जानकारी का खुलासा करेगा और प्रदान करेगा;

iii) बैंक द्वारा श्री सुश्री/--------- को किए जाने वाले खुलासे में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन यह केवल इन खुलासों तक ही सीमित नहीं होंगे:

क. बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;
ख. बैंक की रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाएं और पूर्वानुमान;
ग. बैंक की संगठनात्मक संरचना और अधिकारों का प्रत्यायोजन,
घ. प्रक्रियाओं सहित कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और सिस्टम;
ङ. आर्थिक विशेषताएं और विपणन वातावरण,
च. बैंक के उत्पादों के बारे में उपयुक्त जानकारी और अद्यतन;
छ. प्रमुख व्यय पर सूचना और अद्यतन;
ज. बैंक के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; तथा
झ. रणनीतिक पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में समयसमय पर रिपोर्ट करना-;

iv) बैंक एमडी-विचार डब्ल्यूटीडी और संबंधित कर्मियों को बोर्ड के/के परिणाम के बारे में सूचित करेगा और बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को एमडी डब्ल्यूटीडी और निदेशकों को समयबद्ध तरीके से और यथासंभ/ बोर्ड की बैठक के समापन की तारीख के दो व्यावसायिक दिनों के भीतर परिचालित करेगा; तथा

(v) बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में प्रत्यायोजित अधिकार के स्तरों के बारे में एमडी/डब्ल्यूटीडी को सलाह देगा।

4. बैंक एमडीडब्ल्यूटीडी को उसकी प्रभावशीलता सहि/त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज पर आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

5.श्री/सुश्री-------- एमडीडब/ल्यूटीडी के रूप में अपने कार्यालय और अपने अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट, स्थानांतरण, सबलेट या बोझ नहीं डालेंगे बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा किसी भी प्राधिकरण, शक्ति, कार्य या अधिकारों के प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के लिए बैंक के उपनियमों सहित लागू कानूनों और विनियमों के अधीन नहीं माना जाएगा।

6. किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी दायित्व या कर्तव्य का पालन करने, निर्वहन करने, पालन करने या अनुपालन करने में विफलता को उसकी छूट नहीं माना जाएगा और न ही यह उसके प्रदर्शन, पालन, निर्वहन या अनुपालन के लिए उसके बाद किसी भी समय या समय-समय पर एक बार के रूप में काम करेगा। ।

7. इस प्रसंविदा विलेख में कोई भी और सभी संशोधन औरया परिवर्तन केवल तभी मान्य /या पूरक और/ सुश्री/और प्रभावी होंगे जब श्री ----------- और बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित हों ।

8. प्रसंविदा के इस विलेख को दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियों को मूल माना जाएगा।

जिसकी साक्ष्य में पार्टियों ने इस अनुबंध को ऊपर वर्णित दिन, माह और वर्ष को विधिवत निष्पादित किया है।

बैंक के लिए	एमडीडब्ल्यूटीडी/
द्वारा … … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … …
नाम:	नाम:
पदनाम:	
की उपस्थिति में:	
1.… … … … … … … … …	2.… … … … … … … … … …